

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

(64)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता.0..... में तक

केस का प्रकार 1A Misc. Case No. 76/17-18.....

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ व का द दि												
22/8/17 20/10/17	आवेदक/ओदिका... <u>सुर्चिना देवी</u> पिता/पति... <u>विजय कुमार विश्वकर्मा</u> ... अ0जाति/अ0ज0जाति/अ0पि0 वर्ग/उपजाति... बड़ई ग्राम- <u>वाँडे-नं० 6-युवापुर</u> थाना- <u>युवापुर</u> राजस्व थाना- <u>युवापुर</u> अंचल- <u>युवापुर</u> जिला- प0 सिंहभूम ने क्रेता- <u>इन्दु देवी</u> पिता/पति- <u>सुरेश कुमार विश्वकर्मा</u> ... अ0जाति/अ0ज0जाति/अ0पि0 वर्ग/उपजाति <u>बड़ई</u> ... के अंतर्गत ग्राम <u>वाँडे-नं० 6-युवापुर</u> थाना- <u>युवापुर</u> /राजस्व थाना- <u>युवापुर</u> ... के अंतर्गत अंचल- <u>युवापुर</u> जिला-प0 सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तान्तरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना सं.</th> <th>थाना</th> <th>खाता नं.</th> <th>प्लॉट सं.</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>वाँडे-नं० 6-युवापुर</u></td> <td></td> <td><u>युवापुर</u></td> <td><u>57</u></td> <td><u>142</u></td> <td><u>0.2 1/2 00.</u></td> </tr> </tbody> </table> आवेदक को <u>ईलाश राशि</u> की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकबा..... की कुल कीमत.... <u>60000/-</u>..... रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी- <u>युवापुर</u> से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक <u>5/9/17</u> तक मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>6/9/17</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित <u>22.8.17</u> भूमि सुधार उप समाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर <u>22.8.17</u> भूमि सुधार उप समाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	मौजा	थाना सं.	थाना	खाता नं.	प्लॉट सं.	रकबा	<u>वाँडे-नं० 6-युवापुर</u>		<u>युवापुर</u>	<u>57</u>	<u>142</u>	<u>0.2 1/2 00.</u>	
मौजा	थाना सं.	थाना	खाता नं.	प्लॉट सं.	रकबा									
<u>वाँडे-नं० 6-युवापुर</u>		<u>युवापुर</u>	<u>57</u>	<u>142</u>	<u>0.2 1/2 00.</u>									

30.1.18

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

Beu
30.1.18

भूमि सुधार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।